न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1, सुलतानपुर

उपस्थित : राकेश पाण्डेय, एच0जे0एस0
(प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1 सुलतानपुर)
(J.O. Code : UP 2397)
****

1–जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1663 / 2026
UPST010052292026

मंगल प्रसाद शर्मा पुत्र जगन्नाथ शर्मा, निवासी ग्राम खरगूपुर, थाना कादीपुर, जिला सुलतानपुर।

.....प्रार्थी / अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....विपक्षी / अभियोगी

एवं

2–जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1785 / 2026
UPST010054342026

1. जगन्नाथ शर्मा पुत्र स्व0 गया प्रसाद शर्मा
2. शनि शर्मा पुत्र जगन्नाथ शार्मा

निवासीगण ग्राम खरगूपुर, थाना कादीपुर, जिला सुलतानपुर।

.....प्रार्थी / अभियुक्तगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....विपक्षी / अभियोगी

मुकदमा अपराध संख्या–153 / 2026
अन्तर्गत धारा–109(1),115(2),352,351(3),333,74,117(2),3(5) बी0एन0एस0
थाना–कादीपुर, जनपद–सुलतानपुर

दि0 16.06.2026

1. प्रार्थी / अभियुक्तगण मंगला प्रसाद शर्मा, जगन्नाथ शर्मा एवं शनि शर्मा की ओर से पृथक–पृथक उक्त दों जमानत प्रार्थना–पत्र उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में जमानत हेतु प्रस्तुत किये गये हैं।

2. चूंकि उक्त दोनों जमानत प्रार्थना–पत्र एक ही अपराध की घटना एवं एक ही मुकदमा अपराध संख्या से सम्बन्धित हैं, अतः इनका निस्तारण संयुक्त रूप से एकसाथ किया जा रहा है।

3. जमानत प्रार्थना–पत्र पर उभय पक्ष को सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों / पत्रावली का अवलोकन किया।

4. प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से क्रमशः मोहित शर्मा द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र दिया गया है कि इस न्यायालय में अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थना–पत्र किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

5. अभियोजन कथानक के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादिनी मुकदमा सुमन ने सम्बन्धित थाने पर दि0 09.05.2026 को इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी कि घटना दिनांक 08.05.2026 समय लगभ 04.30 बजे शाम प्रार्थिनी अपने घर पर गृहस्थ कार्यो में व्यस्थ थी तभी अचानक जगन्नाथ शर्मा, अजय दूबे, अभिषेक, मंगल, शनि एवं अमन आदि लोग अपने हाथ में लाठी डण्डा व लोहे की राड लेकर प्रार्थिनी के घर आकर मॉ–बहन की भददी–भददी गालियां देते हुए एलानियॉ तौर पर यह बात कहते हुए कि इन लोगों को आज जान से मार दो, प्रार्थिनी के दरवाजे पर लाठी डण्डा से प्रहार करके जबरदस्ती दरवाजा खोलते हुए प्रार्थिनी को अजय दूबे व अभिषेक प्रार्थिनी के साथ बत्तमीजी व छेड़छाड़ करते हुए प्रार्थिनी के पहने हुए कपड़े फाड़ देते है और प्रार्थिनी के साथ छेड़खानी करने लगते है जब प्रार्थिनी उक्त लोगों का विरोध किया तो उक्त लोग मिलकर जान से मारने की नियत से प्रार्थिनी के सिर पर प्रहार किया और प्रार्थिनी को बहुत बुरी तरह से लाठी डण्डा और लात घूसों से मारे, जिससे प्रार्थिनी का हाथ टूट गया और प्रार्थिनी मौके पर बेहोश गयी और प्रार्थिनी के नाक में भी चोट आयी। हल्ला गोहार सुनकर गांव के लोगों को आता देख कर प्रार्थिनी को जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये।

6. प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क रखा है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण निर्दोष है और उन्हें उपरोक्त मुकदमें में महज हैरान व परेशान करने की नियत से झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वादिनी मुकदमा का भाई विनय हिस्ट्रीशीटर है, जिसका प्रभाव थाने पर भी चलता है। प्रार्थी/अभियुक्तगण के विरूद्ध तहरीर में स्वयं वादिनी मुकदमा द्वारा न ही छेड़छाड़ और न ही मारना पीटना कहा गया है, बल्कि पूरे मुकदमें में झूठा एवं मनगढन्त आधार पर प्रार्थी/अभियुक्तगण का नाम केवल बचाव के लिए दिया गया है। जबकि प्रार्थी/अभियुक्तगण को सवयं गम्भीर चोटे आयी है। प्रार्थी/अभियुक्तगण को इतनी चोटे आयी है, जिसका मेडिकल परीक्षण पुलिस द्वारा दो दिन बाद कराया गया, जिसमें डॉक्टर द्वारा चोटों के बावत एक्सरे एडवाइज किया गया परन्तु पुलिस द्वारा जिला कारागार में निरूद्ध कर दिया गया। वादिनी मुकदमा द्वारा एक दिन की देरी से विधिक राय मशबिरे से पूरी साजिश के साथ मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जो कि फर्जी एवं मनगढन्त आधार पर लिखवाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्तगण दिनांक 10.05.2026 से जिला कारागार सुलतानपुर में निरूद्ध है। तथाकथित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्तगण के विरूद्ध मौखिक साक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य से भिन्न है। प्रार्थी/अभियुक्तगण जमानत पर रिहा किये जाने योग्य हैं।

7. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने जमानत का विरोध करते हुए तर्क रखा है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा अन्य सह–अभियुक्तों के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा के घर में घुस कर उसके साथ छेड़छाड़ करके कपड़े फाड़े तथा उसके विरोध करने पर उसे लाठी डण्डा व लोहे की राड़ से मार पीट कर गम्भीर चोटे पहुॅचायी, जिससे उसका हाथ टूट गया और वह मौके पर बेहोश हो गयी। प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। प्रार्थी/अभियुक्तगण जमानत पर रिहा किये जाने योग्य नहीं हैं।

8. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्तगण द्वारा अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर पर वादिनी मुकदमा को लाठी डण्डा व लोहे की राड़ से मार पीट कर जानलेवा चोटे पहुॅचाने और छेड़खानी व जान से मारने की धमकी देने का अभियोग है।

9. विगत तिथि पर अभियोजन की ओर से पीड़िता की चोटों के संदर्भ में कोई स्पष्ट मेडिकल रिपोर्ट व चिकित्सक द्वारा चोटों के संबंध में कोई राय न होने के कारण न्यायालय द्वारा निम्न बिन्दुओं पर आख्या व प्रपत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया थाः– **1–**चोटहिल सुमन का दिनांक 08.05.2026 को जिला चिकित्सालय सुलतानपुर में कोई चिकित्सीय परीक्षण तैयार किया गया था अथवा नहीं। **2.–**पीड़िता के शरीर पर भिन्न–भिन्न अंगों की एक्सरे प्लेट की रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। **3–**पत्रावली पर पीड़िता के अस्पताल का डिस्चार्ज पत्र संलग्न है, लेकिन एडमिट होने का कोई प्रपत्र संलग्न नहीं है, पीड़िता किस प्रकार की चोटों के साथ अस्पताल में भर्ती हुयी है यह प्रपत्र प्रस्तुत करे। **4–**अभियुक्त मंगला प्रसाद शर्मा के द्वारा उसे आयी चोटों के संबंध में कोई प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. पुनः जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से यह कथन किया गया गया है कि चिकित्साधिकारी सी.एच.सी. कादीपुर के चित्सिक डॉक्टर वीरेन्द्र कुमार गौतम द्वारा विवेचक को यह बताया गया कि दिनांक 08.05.2026 को मैं सी0एच0सी0 कादीपुर डयूटी पर मौजूद था कि तभी मेरे समक्ष चोटहिला सुमन को उपचार हेतु लाया गया था। उपरोक्त चोटहिल को अधिक चोट व हालत खराब होने के दृष्टिगत मेरे द्वारा चोटहिला की इंजरी न नोट करते हुए बेहतर इलाज हेतु मैं तत्काल जिला चिकित्सालय सुलतानपुर रेफर कर दिया था।

11. जिला चिकित्सालय सुलतानपुर के चिकित्सक डॉक्टर नदीम द्वारा विवेचक को यह बताया गया कि दिनांक 08.05.2026 को जिला चिकित्सालय सुलतानपुर के पंजीकरण संख्या 13337 पर समय 10.40 बजे आर्थोपेडिक विभाग में पप्पू द्वारा लाकर चोटहिला सुमन को दाखिल किया गया था, चोटहिला की स्थिति अन्धरूनी चोट ज्यादा होने के कारण मेरे द्वारा उसके शरीर पर आयी चोटों का निरीक्षण न कर स्थिति के गम्भीरता को देखते हुए तत्काल उपचार प्रारम्भ कर दिया गया। डॉक्टर अनमोल द्वारा चोटहिला के शरीर पर

आये फ्रैक्चर के दृष्टिगत उसके शरीर पर हड्डी टूटने वाले स्थानों पर नियमानुसार प्लास्टर किया गया था तथा दिनांक 15.05.2026 को चोटहिला के स्वास्थ्य में सुधार होने पर उसे डिस्चार्ज किया गया था। तत्काल चोटहिला का मेरे व डॉक्टर अनमोल द्वारा उपचार प्रारम्भ नहीं किया गया होता तो चोटहिला के साथ कोई अप्रिय घटना भी हो सकती थी। चोटहिला का सम्पूर्ण इलाज मेरे व डॉक्टर अनमोल द्वारा किया गया था।

12. चिकित्साधिकारी जिला चिकित्सालय सुलतानपुर के चिकित्सक डॉक्टर अनमोल ने बताया कि दिनांक 08.05.2026 को जिला चिकित्सालय सुलतानपुर के पंजीकरण संख्या 13337 पर समय 10.40 बजे आर्थोपेडिक विभाग में पप्पू द्वारा लाकर चोटहिला सुमन को दाखिल किया गया था। चोटहिला की स्थिति अन्दरूनी चोट ज्यादा होने के कारण डॉक्टर नदीम द्वारा उसके शरीर पर आयी चोटों का निरीक्षण न कर स्थिति के गम्भीरता को देखते हुए तत्काल उपचार प्रारम्भ कर दिया गया। मेरे द्वारा चोटहिल के दाहिने कंधे पर आये फ्रैक्चर के दृष्टिगत नियमानुसार प्लास्टर किया गया था। दिनांक 15.05.2026 को चोटहिला के स्वास्थ्य में सुधार होने पर उसे डिस्चार्ज किया गया था। यदि तत्काल चोटहिला मेरे व डॉक्टर नदीम द्वारा उपचार प्रारम्भ नहीं किया गया होता तो चोटहिला के साथ कोई हानिकारक घटना भी हो सकती थी। चोटहिला सम्पूर्ण इलाज मेरे व डॉक्टर नदीम द्वारा किया गया था।

13. उपर्युक्त तीनों चिकित्सक द्वारा चोटहिला की स्थिति को गम्भीर बताया गया लेकिन प्रकरण आपराधिक वारदात से सम्बन्धित है, न तो सी0एच0सी0 कादीपुर के चिकित्सक वीरेन्द्र कुमार गौतम और न ही जिला अस्पताल के चिकित्सक नदीम व न ही डॉक्टर अनमोल द्वारा ही मेडिकोलिगल तैयार करने की प्रक्रिया का कोई अनुपालन किया गया, जो कि घोर लापरवाही का द्योतक है। बिना स्पष्ट एक्सरे रिपोट के किस प्रकार से चोटहिला का इलाज किया गया है, यह बिल्कुल अस्पष्ट है जबकि चोटहिला व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित है, उसके द्वारा अपनी चोटों को दिखाते हुए यह कथन किया गया है कि उसके हाथ का आपरेशन करके चिकित्सक द्वारा प्लेट लगायी गयी थी। चोटहिला की चोटों के संबंध में कुछ फोटोग्राफस भी दाखिल किये गये है। मामले में विवेचना प्रचलित है। अतः मामले उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में अपराध की प्रकृति व अपराध की गभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। तद्नुसार उक्त दोनों जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

14. प्रार्थी/अभियुक्तगण मंगला प्रसाद शर्मा, जगन्नाथ शर्मा एवं शनि शर्मा की ओर से प्रस्तुत पृथक–पृथक् उपरोक्त दोनों जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाते हैं।

इस आदेश की एक प्रति जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1785/2026 पर रखी जाये।

प्रस्तुत मामले में तीनों चिकित्सक डॉक्टर वीरेन्द्र कुमार गौतम, डॉक्टर नदीम व

डॉक्टर वीरेन्द्र कुमार गौतम द्वारा मेडिकोलिगल तैयार करने में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया है और न ही पीड़िता की कोई स्पष्ट मेडिकल रिपोर्ट ही तैयार करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी।

अतः मुख्य चिकित्साधिकारी, सुलतानपुर/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सुलतानपुर को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त तीनों चिकित्सकों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से न्यायालय को पॉच दिनों के अन्दर अवगत कराये।

इस आदेश की एक प्रति मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सुलतानपुर को प्रेषित की जाए।

Sd/-

(राकेश पाण्डेय)
प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–01, सुलतानपुर।

16–06–2026